

“राजनीतिक चेतना से सामाजिक जागरण तक: गांधी का आंदोलनात्मक दृष्टिकोण”

साक्षी तिवारी

शोधार्थी

समाजशास्त्र

श्रीमति बी. डी. जैन, कन्या पी.जी. कॉलेज, आगरा
(डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

सारांश:

ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य का निर्माण समान संरचना के आधार पर किया है। प्रत्येक मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में इस संरचना का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से विभिन्न प्रकार के संदर्भ में करता है परंतु जो मनुष्य इस संरचना का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से हटकर समाज के विभिन्न संदर्भों के लिए करता है वही हमारा राष्ट्रपिता बनता है। गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से समाज में प्रचलित नकारात्मक गतिविधियों के खिलाफ सामाजिक आंदोलन की नींव रखी तथा सर्वोदय जैसे सिद्धांतों के माध्यम से गांधी जी ने समाज के विकास में अत्यधिक जोर दिया। कोई भी नेता सामाजिक आंदोलन तथा राजनीतिक आंदोलन को अपने उद्देश्यों में तभी सफल कर पाते हैं जब वह समाज को संपूर्ण रूप से पढ़ पाते हैं तथा समझ पाते हैं। निःसंदेह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत वापसी तक समाज तथा समाज के हर वर्ग के सदस्यों को समझने में अपना योगदान दिया तत्पश्चात् सामाजिक आंदोलन में भाग लेकर समाज की तथा समाज के सदस्यों की मांगों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शोध पत्र व्याख्यित करेगा कि गांधी जी के राजनीतिक तथा आदर्शवादी जीवन का विकास कैसे हुआ तथा अपनी आदर्शवादी नीतियों का प्रयोग करके किस तरह से गांधी जी ने राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन में सफलता पाकर अपने आगमन के पश्चात् सम्पूर्ण भारत की स्वतंत्रता के परिदृश्य को काल्पनिक रूप से लाकर सकारात्मक रूप में बदल कर रख दिया।

मुख्य शब्द:

संप्रभुता, आदर्शवादी,, आध्यात्मिकता, निष्क्रिय प्रतिरोध, संघवाद, सर्वोदय

प्रस्तावना:

एनसीईआरटी, (2007,पृ.346) में अत्यंत सरल तरीके से वर्णित किया गया है कि राष्ट्रवाद का निर्माण नागरिकों के व्यक्तिगत निर्माण का परिणाम होता है तथा किसी एक व्यक्ति के परितः हमें राष्ट्रवाद का निर्माण दिखाई देता है। जब हम राष्ट्रवाद के इतिहास को झांकते हैं तो उस राष्ट्र के संपूर्ण निर्माण को किसी एक विशेष व्यक्ति के संदर्भ में समझा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम अमेरिकी स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं तो संपूर्ण क्रांति को “जॉर्ज वाशिंगटन” के इर्द-गिर्द समझा जाता है, जब हम इटली के राष्ट्र निर्माण की कहानियों को सुनते हैं तो “गैरीबाल्डी” की भूमिका को समझा जाता है, तथा वियतनाम के राष्ट्र निर्माण का कार्य “हो ची मिन्ह” के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है। ठीक इसी तरह मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें “भारत के राष्ट्रपिता” के रूप में जाना जाता है, को एक ऐसी दिग्गज व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है

जिन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संदर्भों से संबंध बनाएं और उन संबंधों को संपूर्ण भारत के जनमानस के साथ जिया। तत्पश्चात् भारत को औपनिवेशिकता के मार्ग से लाकर संप्रभुता के मार्ग में लाकर खड़ा किया और अखंड भारत की रचना में सराहनीय भूमिका निभाई। गांधी जी, जिन्होंने अपनी अत्यंत साधारण नीतियों के माध्यम से लाखों भारतीयों के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया जिसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में हमें देखने को मिलता है।

सामाजिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रस्तावित करने से पूर्व गांधी जी ने इन आंदोलनों के पीछे की संपूर्ण शक्ति को समझने का प्रयास किया जिसे हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रारंभ में “हम भारत के लोग” कह कर संबोधित किया गया है। “हम भारत के लोग” ये चार शब्द व्याख्यान करते हैं कि भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय से शक्ति को अधिग्रहित करता है ना कि प्रत्येक भारतीय, संविधान से। गांधी जी ने प्रत्येक भारतीय के मस्तिष्क में समान लक्ष्य के विकास अर्थात् भारत की स्वतंत्रता के विकास में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

गांधी जी को किसी एक परिप्रेक्ष्य से समझना असंभव है। जिस प्रकार गांधी जी ने संपूर्ण जनमानस को हिंसक विचारधारा को त्याग कर सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया तो यह उनके धार्मिक तथा नैतिक विचारधारा को संदर्भित

करता है। गांधी जी ने जिस प्रकार गरीबी, छुआछूत, बाल विवाह तथा असमानता जैसी कुरीतियों के खिलाफ समाज में आवाज उठाई यह उनकी समाजशास्त्रीय विचारधारा में प्रकाश डालता है। जिस प्रकार गांधी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रत्येक भारतीय को मशीन आधारित उत्पादन को त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण तथा उपयोग के लिए प्रेरित किया, निसंदेह उनकी एक अर्थशास्त्री विचारधारा को संदर्भित करता है। अपनी राजनीतिक विचारधारा को संदर्भित करते हुए जिस प्रकार गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे व्यापक आंदोलन को सफलतापूर्वक संचालित किया, उनकी छवि को सफल राजनेता के रूप में प्रदर्शित करता है।

उपर्युक्त सभी विशेषताओं के आधार पर गांधी जी को केवल समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री या राजनीतिक श्रेणी में संजोना निसंदेह नामुमकिन है इसीलिए शायद उन्हें हर भारतीय "अखंड भारत के राष्ट्रपिता" के रूप में अपने हृदय में संजोए हुए है।

कोई भी आंदोलन किसी न किसी प्रकार के सामाजिक संघर्ष का ही प्रत्युत्तर होता है। जब हम सामाजिक संघर्ष को समझ पाते हैं तत्पश्चात ही उसके समाधान के लिए हमें अपने आंदोलन में किन प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करना है तथा किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। गांधी जी ने सर्वप्रथम सामाजिक संघर्षों के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास किया तथा किस प्रकार से इन संघर्षों और समाधान करना है उसके लिए एक "रोड मैप" को प्रस्तुत किया।

शोध पत्र के उद्देश्य:

- गाँधी जी के राजनीतिक तथा आदर्शवादी जीवन का अध्ययन करना।
- गाँधी जी द्वारा संचालित राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन में सत्याग्रह की नीति के प्रभाव का अध्ययन करना।
- गाँधी जी के आगमन के बाद भारत के परिदृश्य में आये परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- आधुनिक समय में गाँधी जी के विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:

चूंकि इस शोध का विषय गुणात्मक है, क्योंकि हम इसमें गांधी जी के सिद्धांतों, विचारों तथा उनसे संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करना चाहते हैं। इसके लिए वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गांधी जी के द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों के परिणाम तथा विकास का अध्ययन तथा वर्णनात्मक दृष्टिकोण से गांधी जी के विचारों का विश्लेषण किया गया है।

इस शोध पत्र के तथ्य संकलन के लिए केवल द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है जिसमें गाँधी जी के जीवन पर आधारित पुस्तकों, लेखों तथा पूर्व अनुसंधानों का अध्ययन किया गया है।

साहित्य समीक्षा:

गुहा, आर.(2018). गाँधी: द इयर्स दैट चेंज्ड थे वर्ल्ड

इस पुस्तक में लेखक ने गांधी जी की छवि को केवल राजनेता के रूप में दिखाने की बजाय उनकी समाज सुधारक, नैतिकता के विचारक तथा विश्व प्रतीक के रूप में विकसित छवि को दिखाने का प्रयास किया है।

गुहा, आर. (2007). इंडिया आफ्टर गाँधी

लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से 1947 के बाद गांधीवाद विचारधारा के फल स्वरूप हुए परिवर्तनों को भारत के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया है तथा व्यक्त किया है कि गांधी जी के विचारों की उपयोगिता भारतीय स्वतंत्रता के बाद आयोजित हुए चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि में देखने को मिलता है।

डाल्टन, डी. (1993). महात्मा गांधी: नॉनवायलेंट पावर इन एक्शन.

लेखक ने इस पुस्तक में, गांधी जी ने किस तरह अपनी आदर्शवादी तथा उदारवादी विचारधारा को राजनीतिक आंदोलन की सफलता के लिए प्रयोग किया है, पर प्रकाश डाला है तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की अहिंसक नीतियों के प्रभावों के परिणामों की भी चर्चा की गई है।

नंदी, आशीस. (1983). इंटिमेंट एनिमीज़: लॉस एंड रिकवरी ऑफ़ सेल्फ अंडर कॉलोनीयलिज़्म.

आशीष नंदी ने इस पुस्तक में गाँधी जी को "आधुनिकता के आलोचक" के रूप में वर्णित किया है। आधुनिकता के वर्चस्व को नैतिकता तथा आध्यात्मिकता के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका वर्णन किया गया है।

फिशर, एल. (1950). द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी.

फिशर ने इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी की राजनीतिक तथा आध्यात्मिक जीवन यात्रा का वर्णन किया है तथा उनके द्वारा प्रयोग की गई सविनय अवज्ञा की नीतियों ने किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता में अपनी उपयोगिता सिद्ध की, इसका भी वर्णन किया है।

देसाई, ए. आर. (1948). सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म.

देसाई जी ने गांधी जी के द्वारा संचालित राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन के मूल्यांकन के पश्चात निष्कर्ष निकाला की गांधी जी ने अपने आंदोलन के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सकारात्मक लहर को जन्म देने के साथ-साथ समाज के पुनर्निर्माण का कार्य भी किया।

गांधी जी का जीवन परिचय:

गांधी जी की आत्मकथा "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी जिन्हें "कबा गांधी" के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में कबा गांधी पोरबंदर के दीवान थे परंतु बाद में उन्होंने राजस्थानी कोर्ट के सदस्य का पद संभाला। कबा गांधी के चार विवाह हुए और अंतिम पत्नी पुतलीबाई से एक कन्या और तीन पुत्र हुए जिसमें गांधी जी सबसे छोटे थे।

उनके पिता सत्य वादक, कुटुंब प्रेमी, उदारशील तथा उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। निसंदेह माता-पिता के गुणों का प्रभाव गांधी जी के ऊपर सकारात्मक रूप में पड़ा।

मूल शिक्षा को अपने निजी स्थान से ग्रहण करते हुए जब गांधी जी हाई स्कूल में पहुंचे तभी उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। आगे की पढ़ाई तथा पारिवारिक व्यवसाय यानी दीवानगिरी को बनाए रखने के लिए उन्हें पारिवारिक सदस्यों द्वारा विदेश जाने का सुझाव दिया गया ताकि गांधी जी वकील बनकर समाज में उच्च स्तर का जीवन यापन कर सकें। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड की ओर गमन किया।

इंग्लैंड जाकर गांधी जी ने अपनी भारतीय परंपरा तथा संस्कृति को मस्तिष्क में रखकर विदेशी संस्कृति को समझने का प्रयास किया। इंग्लैंड में रहकर ही उन्होंने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया तथा उनके जीवन की सबसे अहम पुस्तक "गीता" को पढ़ने का शौक उन्होंने तब पाला जब विलायत में रहते हुए उनकी मित्रता दो थियोसोफिकल मित्रों से हुई। उन्हीं के साथ उन्होंने गीता के श्लोक को प्रथम बार पढ़ा तथा उन श्लोकों के प्रभावों ने गांधी जी के ऊपर एक अनोखा प्रभाव छोड़ा तथा अंतिम समय तक गांधी जी ने गीता को अपने जीवन का एक अंग मान कर हमेशा साथ रखा। यहीं रहकर उन्होंने सत्य की तलाश की ओर अपनी एक यात्रा शुरू की तथा खुद को उन्होंने एक आध्यात्मिकता के रास्ते में पाया। तिवारी, के. ऐन. (1988), व्याख्यित करते हैं कि "गांधी जी से जब पूछा गया कि सत्य क्या है? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि जो हमारे अंदर की आवाज़ हमें जो बताती है वही सत्य है। गांधी जी के अनुसार, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ ही सच को जानने तथा पहचानने का एकलौता माध्यम है परन्तु गैर जिम्मेदार तथा नासमझ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।" 10 जून 1891 के दिन इंग्लैंड से ही उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की तथा 12 जून 1891 को भारत के लिए रवाना हुए।

इंग्लैंड में रहकर गांधी जी ने बैरिस्ट्री की डिग्री तो प्राप्त कर ली थी परंतु भारत आकर गांधी जी के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि बैरिस्ट्री का अभ्यास किया कैसे जाए। इस अभ्यास के लिए उन्होंने फिरोजशाह मेहता जी से संपर्क किया और मेहता जी के द्वारा दिए गए सुझावों को अपने मस्तिष्क में रखते हुए गांधी जी अपना पहला मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उनका पहला मुकदमा गुजरात के ही एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का था जिनका विवाद दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था।

दक्षिण अफ्रीका में ही वकालत में अपना बेहतरीन अनुभव बनाते हुए गांधी जी ने यहीं रहते हुए अपने हिंदू धर्म महत्व को समझने का अवसर भी प्राप्त किया। जब गांधी जी ने देखा कि उनके ईसाई मित्र, अपने ईसाई धर्म के प्रभाव को उन पर थोपना चाह रहे हैं और दूसरी ओर अब्दुल्ला सेठ जैसे उनके मित्र उन्हें इस्लाम का अध्ययन करने के लिए सलाह दे रहे हैं तो उनके हृदय में सवाल का पिटारा खुलने लगा और वह अपने हिंदू धर्म के आंतरिक प्रभाव को समझने के लिए जिज्ञासु होने लगे। अपने जिज्ञासा के लिए उन्होंने अपने मित्र रायचंद भाई से पत्राचार किया और गांधी जी को एहसास हुआ कि यदि हिंदू धर्म की आत्मा को समझना है तो उसके लिए उन्हें हिंदू धर्म का गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पंचीकरण, मणिरत्नमाला, योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण, हरिभद्रसूरि का षडदर्शन समुच्चय इत्यादि पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। टॉलस्टॉय की पुस्तक "बैकुंठ तेरे हृदय में" की स्वतंत्र विचार शैली, सत्य का महत्व तथा प्रौढ़ नीति का प्रभाव गांधी जी के जीवन में पड़ा।

"गांधी से महात्मा" बनाने में गांधीजी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका की भूमिका

अपने पहले मुकदमे के अभ्यास के लिए जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया था तब उन्हें नहीं ज्ञात था कि दक्षिण अफ्रीका ही उनकी राजनीतिक मस्तिष्क को विकसित करेगा। दक्षिण अफ्रीका में एशियाई तथा भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले भेदभाव, असमानता तथा प्रजातीय उत्पीड़न जैसे-रात 9:00 बजे के बाद भारतीय तथा काले अफ्रीकियों पर घर से बाहर निकलने

पर प्रतिबंध तथा सार्वजनिक फुटपाथों के उपयोग पर प्रतिबंध, के खिलाफ खड़े होकर उनके अधिकारों के संरक्षण के संघर्ष में साथ देने की कसम खाई।

गांधी जी की उदारवादी विचारधारा का काल (1894–1906)–राजीव अहीर (1999), के अनुसार क्योंकि गांधी जी की विचारधारा उदारवादी थी तो प्रारंभिक दौर में मजदूरों के संघर्ष के लिए उन्होंने उदारवादी विचारधारा को चुना। अपने उदारवादी माध्यम जैसे प्रार्थना पत्र, याचिकाओं के द्वारा उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के ऊपर भारतीय मजदूर के ऊपर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए दबाव बनाया। यहीं रहकर उन्होंने “नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की तथा” इंडियन ओपिनियन” नामक पत्र का प्रकाशन भी किया जिसके माध्यम से भारतीय मजदूरों की मांगों को दक्षिण अफ्रीका सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया।

निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति का काल (1906–1914)– उदारवादी नीति को अपनाते हुए जब गांधी जी को कोई संतोषप्रद परिणाम नहीं मिला तो उन्होंने अपनी नीति में बदलाव करते हुए अहिंसात्मक प्रतिरोध को अपने संघर्ष की सफलता का माध्यम बनाया जिसे बाद में “सविनय अवज्ञा नीति” या “सत्याग्रह” के नाम से जाना गया। अपनी सत्याग्रह की नीति का प्रयोग करते हुए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ आवाज उठाई। तत्पश्चात भारतीय प्रवासियों पर प्रतिबंध के खिलाफ बनाए गए कानून का भी विरोध किया और यहीं पर ही रहते हुए तथा इसी नीति का प्रयोग करते हुए गांधी जी ने भारतीय विवाहों की वैधता के संरक्षण में भी आवाज उठाकर महिलाओं के आत्म सम्मान तथा भारतीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह और राजनीतिक अनुभव

- 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी ने अपने समय को दक्षिण अफ्रीका में रहकर अपनी राजनीतिक गतिविधियों तथा उनके सकारात्मक प्रभावों के लिए अर्पण किया।
- दक्षिण अफ्रीका में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जनता को किस प्रकार तैयार करना है, इसका ज्ञान गांधी जी को हो चुका था।
- गांधी जी के द्वारा संचालित किए गए सत्याग्रहों में जिस जोश और ऊर्जा के साथ भारतीयों ने हिस्सा लिया उससे गांधी जी ने महसूस किया की आवश्यकता पड़ने पर जनता अपने देश के लिए बलिदान को तैयार हो सकती है।
- यहां रहकर गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण अनुभव लिया कि भारत की स्वतंत्रता किसी एकमात्र सामाजिक समूह पर निर्भर नहीं करती है, अगर भारत को स्वतंत्रता दिलानी है तो समाज के हर वर्ग को समानता देनी पड़ेगी।
- गांधी जी के लिए दक्षिण अफ्रीका ने प्रयोगशाला के रूप में काम किया जहां गांधी जी ने अपनी राजनीतिक नीतियों का परीक्षण किया तथा उसके लाभ तथा हानियों से परिचित हुए।

1893 से 1914 तक भारत की समकालीन स्थिति

- जब गांधी जी 1893 को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए तथा 1915 को उनके भारत आगमन तक भारत की स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो चुका था।
- 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष की गतिविधियों में एक विशेष उपलब्धि थी। आगे चलकर इस संस्था ने राजनीतिक परिदृश्य में अखिल भारतीय संस्था के रूप में काम किया।
- 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के विभाजन ने संपूर्ण भारत के परिदृश्य को बदलकर रख दिया था, हालांकि 1911 में राजनीतिक उपद्रव के भय से विभाजन को रद्द कर दिया गया था।
- बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शक्ति को भी कमजोर बना दिया था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उदारवादी तथा उग्रवादियों के वैचारिक मतभेद में फंस चुका था। परिणामस्वरूप वैचारिक मतभेद के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी तथा उग्रवादियों के बीच विभाजन हो गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की शक्ति क्षीण हो गई। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों समूह एकजुट हो गए थे।
- तथा इन परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि जिस समय गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में अपने राजनीतिक अनुभव को मजबूत कर रहे थे उस समय भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य भारतीयों को धुंधला दिखाई दे रहा था।

गांधी जी ही भारत के “राष्ट्रपिता” क्यों?

गांधी जी के आगमन से पहले भी उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों समूह से गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे महान दिग्गज अपनी-अपनी वैचारिक शक्ति के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में संलग्न थे। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में ऊर्जा पूर्ण रूप से थी परंतु उस ऊर्जा के प्रवाह का दिशा निर्देशन अव्यवस्थित था। 9 जनवरी 1915 को गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन किया। भारत आगमन के पश्चात सर्वप्रथम गांधी जी ने बिना किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिए केवल समकालीन स्थिति को परखने का प्रयत्न किया। इस समय के दौरान गांधी

जी ने सर्वप्रथम यह लक्ष्य बनाया कि सबसे पहले प्रत्येक भारतीय को सत्याग्रह की नीति तथा उसके महत्व से अवगत कराना होगा। तत्पश्चात गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक रोड मैप तैयार करके मार्गदर्शक का कार्य किया। इस रोड मैप की सहायता से मानों भारत की स्वतंत्रता का स्वप्न सत्य जैसा प्रतीत होने लगा।

अरोरा, सिद्धार्थ. (2020), ने व्याख्यित किया है कि अपने मार्गदर्शन का प्रयोग करके गांधी जी ने बहुत साधारण तरह से जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि अभी हम ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश हैं अर्थात् हमारे पास ना कोई कानूनी शक्ति है और ना कोई राजनीतिक शक्ति और हम जिस हिंसक माध्यम के द्वारा भारत की संप्रभु स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं वह असंभव है। गांधी जी ने समझाने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कोई सैन्य चुनौती का प्रयोग नहीं किया है तो हम हिंसक गतिविधियों का प्रयोग क्यों रहे हैं। चुनौती मात्र कानूनी तथा राजनीतिक आधार पर है तो हमें भी केवल कानूनी तथा राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से ही ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संपूर्ण विचारधारा को गांधी जी ने भारतीयों की धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ा क्योंकि उस समय भारतीय समाज में धर्म का बोलबाला था तो बहुत सहज तरीके से गांधी जी भारतीयों को यह समझने में सफल रहे की सत्य हमारी आत्मा है, हिंसा हमारे धर्म का दानव है अर्थात् हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। जब गांधी जी को लगा कि भारतीय उनके सत्याग्रह के विचार को सकारात्मक रूप से ग्रहण कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने अपने रोड मैप को समझाना शुरू किया।

उन्होंने बताया कि उपनिवेश से सीधा संप्रभु भारत का स्वप्न निराधार तथा असंभव है। अगर हमें औपनिवेशिक भारत को संप्रभु भारत की तरफ लेकर आना है तो सर्वप्रथम हमें संघ निर्माण करना होगा इस समय भारत दो प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त था रियासतें तथा प्रांत।

ब्रिटिश ने रियासतों के साथ एक विशेष प्रकार का आधिपत्य बना रखा था जिसके अंतर्गत सभी रियासतें अपने आंतरिक क्षेत्र में हर प्रकार की गतिविधियों के लिए स्वतंत्र थीं परंतु विदेशी तथा सैन्य मामले ब्रिटिश सरकार के हाथ में थे। इस व्यवस्था से सभी रियासतें संतुष्ट थीं इसलिए असली स्वतंत्रता संग्राम संपूर्ण भारत नहीं केवल प्रांत ही लड़ रहे थे क्योंकि प्रांत के पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं थी।

गांधी जी ने कहा, सर्वप्रथम रियासतों को अपने आधिपत्य की व्यवस्था त्याग कर तथा सभी प्रांतों को अहिंसक तरीके से प्रांतीय स्वायत्तता तथा विकेंद्रीकरण को प्राप्त करके एक संघ निर्माण का कार्य करना चाहिए। संघ निर्माण के बाद हमें डोमिनियन राज्य बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग करनी चाहिए। डोमिनियन राज्य अर्थात् भले ही हमें विदेशी ताकत के द्वारा साथ शासित किया जाए परंतु हमारे पास कानूनी तथा राजनीतिक शक्ति होगी। जब हमें डोमिनियन राज्य की प्राप्ति हो जाए तत्पश्चात हमें संप्रभु भारत की स्थापना के लिए अपनी मांगों को आगे बढ़ाना चाहिए।

गांधी जी ने इस रोड मैप को प्रस्तुत करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सकारात्मक को जन्म दिया और प्रत्येक भारतीय के अंदर यह विश्वास जगाया कि हम हिंसक प्रवृत्ति तथा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रयोग करके केवल अपनी ऊर्जा का विनाश कर रहे हैं। इसके द्वारा हमें स्वतंत्रता शायद कभी नहीं मिल पाएगी लेकिन अगर हम सत्याग्रह की नीति का अनुसरण अपने अंतरात्मा से करते हैं तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को उनकी मातृभूमि अवश्य सौंपेगी। उनकी इसी नीति के द्वारा संचालित किए गए सामाजिक आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य की नीति को हिलाने का काम किया। गांधी जी के रोड मैप के प्रभाव के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदलाव हुए तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राजनीतिक मांगों को मांगना प्रारंभ किया जिसके फल स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन जैसे कानून के द्वारा भारतीयों की मांगों को संतुष्ट करने का कार्य किया गया। भारतीय जनता को भी समझ आ चुका था कि अगर हम एक व्यवस्थित क्रम का अनुसरण करेंगे तो हम भारत को स्वतंत्र करा पाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का जो मार्गदर्शन गांधी जी ने उस समय प्रस्तुत किया निसंदेह वह "भारत के राष्ट्रपिता" के पद को धारण करने योग्य हैं।

गांधी और सामाजिक आंदोलन:

दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी एक बात से बहुत अच्छे से परिचित हो चुके थे कि किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाने वाला आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब समाज का हर वर्ग उसमें भाग ले तथा समाज के हर वर्ग का हित उन दोनों में समाहित हो। फरवरी 1916 में "बनारस हिंदू विश्वविद्यालय" के उद्घाटन के समय सभी राजाओं तथा जमींदारों जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान दिया था, के बीच गांधी जी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति को दर्ज कराया। यहां पर अपने पहले ही भाषण में गांधी जी ने अपनी सत्यता तथा निडरता के परिदृश्य को प्रस्तुत किया। इसी समारोह के उद्घाटन में गांधी जी के द्वारा बोले गए प्रसिद्ध शब्द "कि बेशक ये समारोह शानदार हैं परंतु इस समारोह में सजे धजे व धनी लोगों की उपस्थिति तथा लाखों गरीबों की अनुपस्थिति मेरे लिए बेहद चिंता का विषय है" के द्वारा भारत के संपूर्ण मजदूर तथा किसान वर्ग के हृदय में गांधीजी की छवि एक मसीहा के रूप में बन चुकी थी और आगे चलकर गांधी जी एक साधारण इंसान से संपूर्ण भारतीयों के "बापू" बन गए।

अपनी अहिंसक प्रतिरोध की नीति का प्रयोग करते हुए गांधी जी ने अनेक प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन का क्रियान्वयन किया जिनकी चर्चा नीचे की गई है और अनेक उतार-चढ़ाव के साथ भारत के लिए स्वतंत्रता के मार्ग को प्रस्तावित किया।

प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन—चंपारण सत्याग्रह (1917)

बिहार के चंपारण में नील की खेती का विवाद बहुत पुराना हो चुका था। विवाद यह था कि “तिनकठिया पद्धति” के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपनी खेती के तीन 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। किसानों को अपने ही जमीन में अन्य फसलों के उत्पादन के लिए कर देना पड़ता था। जर्मनी में रासायनिक रंगों के विकास के कारण नील की खेती लगभग बर्बाद हो चुकी थी। इसी आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में बुलाकर इस संघर्ष को समाप्त करवाने का फैसला किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर अपने अहिंसक प्रतिरोध की नीति के द्वारा इस आदेश को मानने से मना कर दिया तथा गांधी जी, स्थानीय ब्रिटिश सरकार को यह समझाने में सफल रहें कि यह पद्धति गलत है और इसका समापन होना चाहिए। साथ ही जो कर किसानों से लिया गया है उसे हरजाने के रूप में किसानों को वापस करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को विवश होकर गांधी जी की माँग को स्वीकार करना पड़ा तथा किसानों द्वारा वसूले गए कर का 25: भाग किसानों को वापस करना पड़ा। चंपारण की विजय ने किसान वर्ग के अंदर एक संतोषप्रद लहर को उत्पन्न किया तथा गांधी जी के फैसले पर अटूट विश्वास को दिखाया।

प्रथम भूख हड़ताल—अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918)

चंपारण सत्याग्रह की संतोषप्रद सफलता के बाद गांधी जी ने अपने संचालन में गुजरात के अहमदाबाद में प्रथम भूख हड़ताल का शुभारंभ किया जिसे “अहमदाबाद मिल हड़ताल” के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद में हड़ताल, अहमदाबाद के मिल मालिकों तथा मजदूरों के बीच “प्लेग बोनस” को लेकर था। मजदूर 50: बोनस की मांग कर रहे थे जबकि मिल मालिक मात्र 20: बोनस देने के लिए तैयार थे। गांधी जी किसानों की सहानुभूति तो प्राप्त कर ही चुके थे, यह समय मजदूर वर्ग के हितों का संरक्षण करके उनके विश्वास को जीतने का था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए गांधी जी ने मजदूरों तथा मिल मालिकों को 35: बोनस की मांग पर राजी होने की मांग की तथा अपनी सत्याग्रह की नीति का प्रयोग करते हुए गांधी जी मजदूरों के साथ अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के इस अनशन ने पूरे मजदूर वर्ग के बोनस के संघर्ष में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। विवश होकर ब्रिटिश सरकार को मजदूर की 35: बोनस की मांग को स्वीकार करना पड़ा।

प्रथम असहयोग आंदोलन—खेड़ा सत्याग्रह (1918)

1918 के समय के दौरान ही गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर अपने प्रथम असहयोग आंदोलन का परिचय दिया। पर्यावरणीय घटना के कारण किसानों की पूरी फसल समाप्त हो चुकी थी लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर भारी कर को थोपा जा रहा था। फसल बर्बाद होने के कारण किसान किसी भी हाल में इस कर के भुगतान की हालत में नहीं थे। गांधी जी ने सभी मजदूरों को एकत्रित करके इस कर को न देकर ब्रिटिश सरकार के इस कानून की अहिंसक माध्यम से दमन करने की प्रेरणा दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को अनेकों प्रकार की धमकी देने के बावजूद भारतीय किसी भी तरह कर देने के लिए राजी नहीं हुए। विवश होकर सरकार ने एक वर्ष के लिए किसानों को कर ना देने की छूट प्रदान की तथा आने वाले वर्षों में करों को कम करने का वादा किया।

चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी को भारतीयों के साथ अपनी सत्याग्रह की नीति के परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ तथा साथ में गांधीजी ने तृणमूल स्तर पर जाकर भारतीयों, उनकी ताकत, कमजोरी तथा समस्याओं से परिचित होने का अवसर भी मिला। इन तीनों सामाजिक आंदोलन में अपने विशेष नीति का प्रयोग करते हुए गांधी जी ने भारतीयों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई तथा आगे आने वाले वर्षों में भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार किया।

प्रथम जन आंदोलन—रौलट सत्याग्रह (1919)

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भारत ने ब्रिटेन की सहायता की तथा उम्मीद रखी कि युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश भारतीयों की मांग को पूरा करेंगे परंतु ब्रिटिश सरकार ने रौलट एक्ट अधिनियम जिसे “काला कानून” के नाम से भी जाना जाता है, को पारित करके भारतीयों के हृदय में गहरा आघात पहुंचाया। इस कानून के अंतर्गत, शक के आधार पर तथा बिना किसी मुकदमे के भारतीयों को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था जिसके लिए किसी भी न्यायालय में अपील भी नहीं की जा सकती थी। भारतीय जनता ने इस अधिनियम को अपने आत्म सम्मान का झस समझा। कुछ समय बाद ही पूर्व आंदोलन से मिले साहस के द्वारा गांधीजी ने 6 अप्रैल 1919 को अपने इस सत्याग्रह को पूरे भारत में संचालित करने की घोषणा कर दी। हड़ताल, उपवास, याचिकाओं के माध्यम से सत्याग्रह ने विकराल रूप लिया परंतु 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 1000 निर्दोष भारतीयों को जनरल डायर ने अपनी गोलियों से मार दिया था, ने भारतीयों के धैर्य का बांध तोड़ दिया और अहिंसक प्रतिरोध की बजाय हिंसक प्रतिरोध का मार्ग अपना लिया। गांधी जी के आंदोलन में हिंसा का स्थान शून्य था इसलिए 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अपने प्रथम जन आंदोलन को विवशतापूर्वक स्थगित करना पड़ा परंतु ब्रिटिश सरकार को ज्ञात हो चुका था कि गांधी जी तथा भारतीय शांत नहीं बैठेंगे।

जनस्फुरण आंदोलन—असहयोग आंदोलन (1920)

1919 की गतिविधियों के आघात से प्रभावित होकर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करने की शपथ ली तथा भारतीयों के अंदर भी इस विश्वास को जन्म दिया कि यदि पूरे आंतरिक ऊर्जा से आंदोलन को चलाया जाए तो एक वर्ष के अंदर ही स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इस आंदोलन के साथ मुस्लिम भारतीयों का साहस भी जुड़ा हुआ था क्योंकि तुर्की में मुसलमान के धार्मिक पद खलीफा की समाप्ति के कारण पूरे विश्व के मुसलमानों में अत्यधिक गुस्सा भरा हुआ था। भारतीय मुसलमानों ने 1919 में ही इस घटना के खिलाफ "खिलाफत आंदोलन" की शुरुआत कर दी थी जो कि आगे चलकर असहयोग आंदोलन में ही सम्मिलित हो गया।

इस आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों को त्याग दिया, सुप्रसिद्ध वकील जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विदेशियों द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु के सेवन का त्याग करने की हर भारतीय ने ठान ली थी। इस असहयोग आंदोलन ने संपूर्ण भारत में भारतीय स्वतंत्रता की मांग को और मजबूती प्रदान की। जन प्रतिक्रिया के रूप में यह एक ऐसा आंदोलन साबित हुआ जिसमें विद्यार्थी, किसान, महिलाओं, व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग तथा हिंदू मुस्लिम एकता ने बढ़कर हिस्सा लिया तथा इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। सरकार के रुख में कोई विशेष परिवर्तन न आने के कारण 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि ब्रिटिश अपने रूप में परिवर्तन नहीं करेगी तो वह देश व्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन को संचालित करेंगे परंतु 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरा में हुए कांड के कारण गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेकर पूरे देश का परिदृश्य बदल दिया क्योंकि गांधी जी को महसूस हुआ शायद अभी सत्याग्रह तथा अहिंसा की नीति को भारतीय सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। इस फैसले के लिए गांधी को अनेक प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ा परंतु हर फैसले से ऊपर गांधी जी ने अपनी अडिग नीतियों को रखा।

नमक से सत्याग्रह तक— सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930)

1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के पश्चात गांधी जी को 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। इस समय के दौरान अनेकों भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी मार्गों को चुन लिया क्योंकि उनका मानना था कि अहिंसक तरह से हमें स्वतंत्रता हासिल नहीं हो पाएगी और वह इस अहिंसा की नीति से उबने लगे थे।

1928 में गांधी जी ने जेल से रिहाई लेने के पश्चात अपनी मांगों का ब्योरा बनाया जिन्हें गांधी जी की "11 सूत्रीय मांगों" के रूप से जाना जाता है। 31 जनवरी 1930, तक का समय ब्रिटिश सरकार को इन मांगों को स्वीकार करने के लिए दिया गया और घोषणा की यदि ब्रिटिश सरकार इन मांगों को अस्वीकार करती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। फरवरी 1930 तक कोई जवाब न मिलने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ का निर्णय लिया। गांधी जी किसी ऐसे मुद्दे को इस आंदोलन से जोड़ना चाहते थे जो प्रत्येक भारतीयों के जीवन से जुड़ा हो इसलिए उन्होंने नमक को इस आंदोलन के केंद्र बिंदु के रूप में चुना। नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर अत्यधिक कर लगाकर तथा भारतीयों के नमक बनाने के अधिकार को छीन कर ब्रिटिश सरकार ने अपनी अमानवीय प्रवृत्ति को उजागर कर दिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने अनुमोदकों के साथ अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। अनेकों अनुमोदकों ने इस यात्रा में जुड़कर आंदोलन को सफल बनाने का अथक प्रयास किया। जगह-जगह भाषण देकर गांधी जी ने जनता को प्रोत्साहित किया कि विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं का त्याग करके, देशी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करें। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर तथा वहां नमक बनाकर ब्रिटिशों के नमक कानून का उल्लंघन किया तथा घोषणा की कि जहां कहीं भी अवसर प्राप्त हो भारतीय नमक बनाकर इस कानून को तोड़ेंगे। इस यात्रा को "दांडी मार्च" के नाम से भी जाना जाता है। इस नमक सत्याग्रह के प्रभाव ने संपूर्ण भारत में अपनी लहर पहुंचाई। अंत में मार्च 1931 को "गांधी इरविन समझौते" के परिणामस्वरूप सरकार ने गांधी जी की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया तथा गांधीजी ने भी आश्वासन दिया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। इस आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी ने इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अहिंसा से करो या मरो तक का सफर—भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे विशेष विशेषता यह रही कि इसमें बजाय संघ और डोमिनियन राज्य की मांग के तत्काल प्रभाव में भारत को स्वतंत्र करने की मांग को अपना लक्ष्य बनाया तथा इस आंदोलन के पश्चात किसी भी आंदोलन में इस मांग को कमजोर नहीं पड़ने दिया।

इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध मंत्र "करो या मरो" की घोषणा की अर्थात् या तो हम अपने भारत को आजाद करा कर रहेंगे या इस आजादी के संघर्ष में ही हम अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे। आंदोलन के प्रचार में जन विद्रोह तथा भूमिगत गतिविधियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आंदोलन की प्रसारता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के दमन के लिए निर्दय पूर्ण नीतियों का सहारा लिया तथा इस आंदोलन को कुचलने के लिए अथक प्रयास किया गया परंतु इस आंदोलन के पश्चात,

इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यानी "भारतीय स्वतंत्रता" का लक्ष्य अब भारतीयों को ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा था और इसी लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होने के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपने संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के बाद अपने आजादी के स्वप्न को खुली आंखों से जिया।

हरिजन आंदोलन

गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से ही समानता को समाज का एक विशेष अंग माना है। गांधी जी का मानना था कि समाज के हर वर्ग को आत्म सम्मान से जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक अधिकारों को दिया जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समकालीन स्थिति में छुआछूत तथा दलितों का विषय अत्यधिक दयनीय स्थिति में था। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होने के साथ-साथ गांधी जी ने छुआछूत को समाज से समाप्त करने की शपथ ले ली थी और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए "अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग" तथा "हरिजन सेवक संघ" जैसे संस्थाओं की स्थापना की। गांधी जी ने समाज में हर वर्ग को यह समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर पर सबका अधिकार है और ईश्वर सबके हैं। इसके लिए छुआछूत को समाप्त करके दलितों को भी मंदिर में प्रवेश के अधिकार को दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

गांधी जी जानते थे कि किसी भी सामाजिक आंदोलन की सफलता किसी स्थानीय आंदोलन पर निर्भर नहीं करती है। अगर हमें किसी सामाजिक आंदोलन को सफल बनाना है तो उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र की जनता को सम्मान लक्ष्य से एकत्रित होना पड़ेगा। 1915 से पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का परिदृश्य बिल्कुल अलग था जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष में केवल कुछ ही वर्ग सम्मिलित थे। सामान्य वर्ग, अर्थात् मजदूर तथा किसान वर्गों, को अपने लिए तथा भारत की स्वतंत्रता के किस प्रकार लड़ा जाए, इसकी ना तो समझ थी ना ही किसी ने समझाने का प्रयत्न किया। 1915 के बाद जब गांधी जी ने भारत में आगमन किया सर्वप्रथम उन्होंने प्रत्येक वर्ग के महत्व को समझा तथा उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तथा अपने संघर्षों के लिए केवल अहिंसक, सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा जैसी नीतियों का प्रयोग करने की सलाह दी क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर हम किसी हिंसक गतिविधियों का प्रयोग करेंगे तो ब्रिटिश सरकार 'निसंदेह इन गरीब लोगों के दमन में क्षण भर का समय नहीं लेगी। गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत रोड मैप ने भारतीय स्वतंत्रता में जिस प्रकार मार्गदर्शन रूपी उत्प्रेरक का कार्य किया निसंदेह अवर्णनीय है। अगर यह रोड मैप प्रस्तुत नहीं होता तो, हो सकता है हम लड़ सब रहे होते लेकिन शायद हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में और अधिक समय लग जाता।

गांधी जी के विचारों ने समाज में एक अहम छाप छोड़ी और इतिहास तथा राजनीति में इसे गांधीवादी विचारधारा के रूप में जाना गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग पट लिखित "राज्य के नीति निर्देशक तत्व" में गांधीवाद विचारधारा के आधार पर ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों का गठन तथा स्वायत्त संचालन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, उचित स्वास्थ्य के लिए नशीली पदार्थों पर प्रतिबंध तथा गाय व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक जैसे निर्देशों को सम्मिलित किया गया क्योंकि यह निर्देश गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं। अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय में गांधी जी ने जो सर्वोदय के विकास का स्वप्न देखा था उसको सच करने के लिए इन निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया।

गाँधीवाद विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू "जन आंदोलन", समाज में इस विश्वास को स्थापित करने में सफल रहा कि अगर समाज के प्रत्येक सदस्य में समान लक्ष्य को स्थापित करके किसी आंदोलन को अग्रसित किया जाये तो निश्चित ही संबंधित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस पहलू ने भारतीय तथा विदेशी समाज के अनको बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जिसमें आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा शामिल हैं। गाँधी जी के "जन आंदोलन" के प्रभाव ने भारतीय समाज में अनेकों प्रकार के आंदोलनों को सफलता का मार्ग दिखाया। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा संचालित चिपको आंदोलन, मेधा पटकर के द्वारा संचालित नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसने बांध परियोजनाओं के द्वारा होने वाले पर्यावरण ह्रास के विरुद्ध आवाज उठायी तथा सफलता पायी। आज के "मेक इन इंडिया" जैसे संकल्पों में भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सराहनीय भूमिका निभाने वाले गांधीवाद विचारधारा के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आंदोलनों की छवि दिखाई देती है जिसने तृणमूल स्तर पर प्रत्येक भारतीय को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिये प्रेरित किया। गाँधी जी की अनशन तथा भूख हड़ताल की नीति से प्रभावित होकर भारतीय समाजसेवी अन्ना हजारे ने भारत में हो रहे भ्रष्टाचार, के खिलाफ आवाज उठायी तथा निष्कर्ष स्वरूप उनके आंदोलन से प्रभावित होकर संसद ने लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित किया और समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वैधानिक संस्था का निर्माण किया।

अपना सर्वस्व त्याग कर जिस प्रकार गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस अखंड भारत को बनाने तथा उसकी स्वतंत्रता में लगा दिया, निसंदेह वह हमारे "बापू" हैं तथा "भारत के राष्ट्रपिता" हैं।

सन्दर्भ सूची

1. अरोरा, सिद्धार्थ. (2020). पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. इनविंसिबल पब्लिकेशन, हरियाणा.
2. वेलेज, कार्लोस जी. (2012). गांधी द अल्टरनेटिव टू वायलेंस. अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस.
3. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. (2007). थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री – भाग ष (कक्षा 12). एनसीईआरटी, नई दिल्ली. (पृ. 346) .
4. मोहन, कृष्ण (1999). पोलिटिकल लीडरशिप एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट . जयपुर: बुक एनक्लेव.
5. राजीव, अहीर. (1999). स्पेक्ट्रम: ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. नई दिल्ली: स्पेक्ट्रम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड. (पृष्ठ संख्या 315 –463) .
6. डाल्टन, डी. (1993). महात्मा गांधी: नॉनवायलेंट पावर इन एक्शन. न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस..
7. तिवारी, के. एन. (1988). विश्व धर्म और गांधी। नई दिल्ली: क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी. (पृष्ठ 82–83).
8. नंदी, आशीस. (1983). इंटिमेट एनिमीज़: लॉस एंड रिकवरी ऑफ़ सेल्फ अंडर कॉलोनियलिज़्म . नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. टेंडुलकर, डी. जी. (1951). महात्मा: लाइफ़ ऑफ़ मोहनदास करमचंद गांधी (वॉल्यूम 2). नई दिल्ली: पब्लिकेशन्स डिवीजन.
10. फिशर, एल. (1950). द लाइफ़ ऑफ़ महात्मा गांधी. न्यूयॉर्क: हार्पर एंड ब्रदर्स.
11. देसाई, ए. आर. (1948). सोशल बैकग्राउंड ऑफ़ इंडियन नेशनलिज़्म, मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन.
12. गांधी, मोहनदास करमचन्द (1948). द स्टोरी ऑफ़ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ . पब्लिक अफेयर्स प्रेस, वॉशिंगटन.